

पर्याप्त- 5/म 2-07/2005
 भारत सरकार विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
 (उच्च शिक्षा विभाग)

स्थान- दिल्ली, भारत
 दिनांक- 05/07/2005

सेवा में
 माननीय
 विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

विषय- उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 2000/00 दिनांक 01/07/00

प्रति- माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

संदर्भ

निदेशानुसार उक्त विषय से संबंधित अधिसूचना संख्या 2000/00 दिनांक 01/07/00 के अंतर्गत भारत सरकार ने संशुद्धि पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें उक्त अधिसूचना के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों के पदों के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में संशुद्धि एवं परिवर्तन अधिसूचना संख्या 2000/00 दिनांक 01/07/00 के अंतर्गत किया गया है।

क्रमांक	विषय	पदाधिकारी का वर्गीकरण	पद का वर्गीकरण
1	2	3	4
1.	प्रिंसिपल	आर.एस. 18	आर.एस. 18
2.	इंजिनियर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
3.	असिस्टेंट	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
4.	सिनिऑर सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
5.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
6.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
7.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
8.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
9.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
10.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
11.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
12.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
13.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
14.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
15.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
16.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम पद)
17.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
18.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
19.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)
20.	सिनिऑर	आर.एस. 18	आर.एस. 18 (प्रथम एवं द्वितीय)

(५०० पद)

Handwritten signature and stamp
 प्रमुख
 दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय कागजातें

8

क्र.सं.	परिमाण	पदों की संख्या
1	2	3
1.	प्रधान लिपिक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
2.	सहायक लिपिक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
3.	कार्टर धराल	01 (एक) पद (प्रथम पद)
4.	टंक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
5.	पुस्तकालय सहायक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
6.	पत्राचार लिपिक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
7.	ग्रीड टीए आर	01 (एक) पद (प्रथम पद)
8.	आर	01 (एक) पद (प्रथम पद)
9.	संघ सहायक	01 (एक) पद (प्रथम से आर)
10.	संघ सहायक	01 (एक) पद (प्रथम से आर)
11.	संघ सहायक	01 (एक) पद (प्रथम से आर)
12.	संघ सहायक	01 (एक) पद (प्रथम पद)
13.	अतिरिक्त	01 (एक) पद (प्रथम से चौदहवा तक)
		कुल - 47 (सैंतालिस) पद

2. उपायुक्त को जितने अधिकार होंगे तथा उपरोक्त पदों पर होना चाहिए, वे सभी का काम सौंपा जायेगा। उपायुक्त को इन पदों पर काम करने की शक्ति दी जायेगी। उपायुक्त को इन पदों पर काम करने के लिए उचित सुविधाएँ दी जायेंगी।

3. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति में आये हुए उपायुक्त को उचित सुविधाएँ दी जायेंगी।

विश्वविद्यालय

संख्या: 5/प 2-07





प्रेषित।

(Handwritten signature)
 वा.स.पं.

राजेश्वर के उपायुक्त

तदर्थ शासी निकाय की बैठक संख्या - 12

माननीय सांसद, कोडरमा सह अध्यक्ष, तदर्थ शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज, मिर्जागंज डॉ० रवीन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2016 को सांसद आवास, सरिया, जिला- गिरिडीह में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें शासी निकाय के निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए -

1. डॉ० रवीन्द्र कुमार राय, माननीय सांसद, कोडरमा - अध्यक्ष - 
2. श्री रविशंकर विद्याधी, अनुसंधान पदाधिकारी, लोरीगढ़वा - सदस्य - 
3. प्रो० कन्हैया प्रसाद राय, वि०वि० प्रतिनिधि सह सचिव - 
4. प्रो० कमल नयन सिंह, प्रो प्राचार्य, पदेन सदस्य - 

माननीय सांसद, कोडरमा-सह-अध्यक्ष, तदर्थ शासी निकाय की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से गत बैठक की संपुष्टि तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

प्रस्ताव संख्या-1- श्री सुनील कुमार शर्मा, व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग के योगदान पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर नहीं था तथा उस पर पूर्व के तत्कालीन प्राचार्य की योगदान कराने की स्वीकृति भी थी। इस मामले को लेकर शासी निकाय ने श्री शर्मा से बैठक सं०-10, प्रस्ताव सं०-01 के (ख) दिनांक 28.10.2015 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा था। इनके स्पष्टीकरण के उत्तर में मूलवश हस्ताक्षर छूट जाने की बात कही गयी। विद्यार्थपरत तदर्थ शासी निकाय ने इसे कोई तकनीकी मामला नहीं माना। श्री शर्मा कॉलेज नियमित आ रहे हैं इस लिए अन्य व्याख्याताओं की तरह इन्हें जनवरी 2014 से नियमानुकूल वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है।

प्रस्ताव संख्या-2- श्रीमती पूनम कुमारी, संस्कृत विभाग, श्री प्रवीण कुमार चौधरी, मानवशास्त्र विभाग, मो० एहसान आलम, उर्दू विभाग, श्री शंभू प्रसाद गुप्ता, प्राचीन इतिहास विभाग एवं श्री भूनेश्वर राम, हिन्दी विभाग पर पुनर्विचार किया गया की कॉलेज अमिलेख तथा गठित जीव समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ये नियुक्तियाँ पद सृजन के बाद बिना लेस्टर निर्धारण के की गई हैं। ऐसी स्थिति में इनका नियमित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इनमें श्री प्रवीण कुमार चौधरी कॉलेज नहीं आते हैं तथा श्रीमती पूनम कुमारी का विषय संस्कृत में कोई छात्र-छात्रा नहीं है। शेष तीन - मो० एहसान आलम, उर्दू विभाग, श्री शंभू प्रसाद गुप्ता, प्राचीन इतिहास विभाग एवं श्री भूनेश्वर राम, हिन्दी विभाग को संबंधित विषयों में नामांकित छात्रों की संख्या तथा आवश्यकता के आधार पर इनके कॉलेज में दिये गये पूर्व की सेवा के मद्देनजर इन्हें तत्काल शिक्षक के रूप में उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार/कॉलेज में उपलब्ध कोष से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। प्रो प्राचार्य समय-समय पर इसका आकलन कर अतिथि शिक्षक संबंधी प्रतिवेदन शासी निकाय को देते रहने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-03- श्री संतोषी प्रसाद सिन्हा (P.T.) के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया था। किन्तु कोई उत्तर नहीं आने पर तदर्थ शासी निकाय प्रो प्राचार्य को यह निर्देश देती है कि इस संबंध में पुनः संबंधित संस्थान को स्पीड पोस्ट से पत्राचार करे। तबतक इन्हें नियमानुकूल उपस्थिति के आधार पर भुगतान करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में इनके प्रमाण पत्र संबंधी कोई भी प्रतिकूल मामला आने पर इनके सारे दावे को रद्द कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या-04- श्री कपिल देव सिंह (तृतीय वर्ग कर्मचारी), श्रीमती वरदानी देवी एवं श्रीमती भारती वर्मा (दोनों चतुर्थ वर्ग कर्मचारी) के संबंध में जाँच कमिटी के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए शासी निकाय इनके पूर्व के दावे को खारिज करती है। कॉलेज में पूर्व में इनके द्वारा की गई सेवा तथा वर्तमान में भी इनके द्वारा दिखाये गये सेवाभाव के आधार पर कॉलेज के आवश्यकता के अनुसार इन्हें उपस्थिति के आधार पर दैनिक वेतन विश्वविद्यालय के नियमानुसार/कॉलेज में उपलब्ध राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-05- सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षककेतर कर्मचारी जो सृजित एवं असृजित पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उपस्थिति के आधार पर कॉलेज कोष की राशि से वरीयता के आधार पर वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल नहीं रहेंगे।

प्रस्ताव संख्या-06- श्री विनोद कुमार राय, व्याख्याता, गणित विभाग, को दुबारा पूछे गये स्पष्टीकरण से भी शासी निकाय संतुष्ट नहीं है। इनकी नियुक्ति वैधानिक रूप से स्पष्ट नहीं होने के कारण सर्वसम्मति से कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को पत्र लिखकर मार्ग दर्शन मांगने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-07- श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, राजनीति शास्त्र विभाग के कॉलेज में योगदान के बाद उनके पैक्स प्रबंधक के रूप में कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक को-ऑपरेटिव बैंक, गिरिडीह के पत्रांक-344/21.01.2016 तथा 358 दिनांक 05.12.2007 से स्पष्ट है कि श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पैक्स प्रबंधक के पद पर दिनांक 01.03.1983 से वेतनमान 975-25-1150-30-1540 पर कार्यरत थे ऐसी स्थिति में उक्त अवधि में इनकी सेवा कॉलेज में नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुलसचिव, वि०भा०वि०, हजारीबाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-08- श्री छुब प्रसाद सिंह, पूर्व बर्खास्त वाणिज्य व्याख्याता को पुनः कॉलेज में नियुक्ति/योगदान कराने के आवेदन पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इनके जिन आचरण और व्यवहार के कारण 2011 में बर्खास्त किया गया था, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कॉलेज में इनकी नियुक्ति करना घातक हो सकता है। इसलिए श्री सिंह को पुनः कॉलेज में नियुक्ति/योगदान नहीं किया या कराया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-09- शासी निकाय पर विभिन्न न्यायालयों में हुए वाद के पैरवी हेतु प्र० प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-10- कॉलेज में सृजित रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु विश्वविद्यालय से रोस्टर उपलब्ध कराकर उसके अनुसार विधिवत् समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर वि०वि० के नियमानुसार नियुक्ति करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

A

B

C

प्रस्ताव संख्या-11- कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदभ्रमण कराने हेतु उनके कार्य-भार (Work Load) को देखते हुए दिनांक 25.06.2016 तक सूची बनाकर निदेश के समक्ष उपस्थापित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


2-6-2016

प्रो प्राचार्य


2/6/16

अनुसूचक पदाधिकारी,
खोरीमहडा


2/6/16

सचिव


2/6/2016

अध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालय का अधीन आने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति

विधि - 47

दिनांक : 10/10/89

संख्या : 10/89

प्रेषित : श्री. न्यायाधीशों की नियुक्ति
श्री. न्यायाधीशों की नियुक्ति
श्री. न्यायाधीशों की नियुक्ति

महोदय - न्यायाधीशों की नियुक्ति - द्वारा
दिए गए आदेशों में यह उल्लेखित है कि न्यायाधीशों
द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर न्यायाधीशों की
नियुक्ति - 16 दिनांक : 29.10.89 की न्यायाधीशों - 3 के
द्वारा प्राप्त की नियुक्ति दिल्ली न्यायाधीशों के
नियुक्ति के अर्थ में दिल्ली पर यह नियुक्ति
द्वारा इस क्षेत्र में पर प्रस्थापित है कि यह ही सही है।

नियुक्ति के समस्त कार्य करने वाली न्यायाधीशों - पर
की प्रस्थापित के समस्त उपस्थापित करें।

(Handwritten signature)



श्री. न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायाधीशों की नियुक्ति

कार्यालय, सचिव लालाबाबा कालेर, बाबागाम, पो- मिर्जापूर & मिर्जाडी

नियुक्ति - पत्र

पत्रांक :- दि. 64

दिनांक :- 21/12/83

प्रेषित :- श्री किलोड कुमार राय
ग्राम - खडकी, पो - मिर्जापूर
जिल्हा - खडकी

गामी - निम्न
पद को ही पूर्व अनुसूचित
प्राप्त करणको के अनुसार
संख्या - 16 दिनांक 29.1
कालेर के पत्रका सेवा दि
रखीकार को हुए आप को
विभाग में आयाता
विश्वविद्यालय द्वारा के
गती है।

विभाग - विनोद - जरा
विभाग विशेष जरा
परी - विभाग को बंध
मे कार्यालयी - 3 के तारा
1.7.87
राजनीति विभाग
नयम

पद पर

संयोजन पर अध्यापी पद की

संयोजन प्रशासक

सचिव

लालाबाबा कालेर, बाबागाम
पो- मिर्जापूर & मिर्जाडी



कार्यालय

सचिव, लैंगटा बाबा कॉलेज बाबागाम पो० मिर्जापुर गिरिडीह



नियुक्ति पत्र

पत्रांक - नि०/ 15/99

दिनांक - 10 7. 1999

प्रेषित,

श्री शकील अख्तर
अध्यापक (गिरिडीह)
(गिरिडीह)

शासकीय तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा आपकी ली गई अर्ज/पत्रिका एवं विषय - विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त अनुसंधान मूलक अर्ज/पत्रिका के आधार पर लैंगटा बाबा कॉलेज बाबागाम की शासकीय निकाय की बैठक सं० 05/99 दिनांक 27.5.1999 की कार्यवाही [पत्रांक] सं० 01 (क) के आलोक में आपकी नियुक्ति उच्च विभाग में अध्यापक के पद पर विधिवत/विधायक द्वारा देय वेतनमान तथा अन्य भत्ते पर अवाधी रूप से की जाती है

यह नियुक्ति पद रिक्ति या पद प्राप्त या पद सृजन की अवस्था में स्थायी/स्थायी के अनुमोदन के आलोक में प्रभावी होगी।

N.B. (i) योगदान - पत्र की एक प्रति सचिव को रखागत करा देनी।

(ii) योगदान के समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ उपस्थापित करनी।

सचिव
10.7.99
लैंगटा बाबा कॉलेज
बाबागाम
पो० मिर्जापुर गिरिडीह



कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 04/S/07

दिनांक : 12.12.07

प्रेषित :-

श्री/श्रीप्रती अजय कुमार
ग्राम - महतो रोड, पो - लताकी
जिला - गिरिडीह।

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 03.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के अध्यापक विभाग में 0चार0चाता पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज

कार्यालय

तपिय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम पो 0 भिर्वांगेव गिरिडीह

नियुक्ति पत्र



पत्रांक - नि 0/ 12/99

दिनांक - 10.7.1999

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार जोशी

ग्राम - लखौर

पो 0 भिर्वांगेव गिरिडीह

शांती निवाय तथा विषय विच्छेद द्वारा आपकी ली गई अर्हताओं एवं

विषय - विच्छेद द्वारा प्राप्त अनुज्ञा भूक भन्तव्यों के आधार पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबा ग्राम की शांती निवाय की बैठक सं 0 05/99 दिनांक 27.5.1999

की कार्यवाही [पुस्तक] सं 0 01 (क) के आलोक में आपकी नियुक्ति

गिरिडीह विभाग में व्यक्तिगत के पद पर

स्वीकृत किया जा रहा है तथा वेतनमान तथा अन्य शर्तों पर अध्यायी रूप से की जाती है।

यह नियुक्ति पद रिक्ति या पद प्राप्त या पद सुख की अवस्था में तत्काल कार्यवाही के अनुमोदन के आलोक में प्रभावी होगी।

- (N. 13) (i) श्री 0/12/99 को शक्यता सचिव को सूचना करा देगी।
- (ii) भौतिक के समस्त समस्त प्रमाण-पत्र एवं अन्य में विस्तृत किया करेगी।
- (iii) शान्तिकोत्तर शर्तों के आधार करना आवश्यक होगा यदि उन्हें शक्यता की शर्त प्रतीत होगी।

10.7.99
राजेश पाण्डेय

तपिय, सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम पो 0 भिर्वांगेव गिरिडीह

कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 10/S/08
दिनांक : 5.01.08

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती अनिल कुमार झा
राज्य : बिहार
सि० : मिर्जागंज जिला - जमुई


आपके आवेदन-पत्र दिनांक 02.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 01 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के मुनिविज्ञान विभाग में व्यारोवपना पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शारीरी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के आय श्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उग्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वता रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

Anil Kumar sah
31/05/2024


सचिव
लंगटा बाबा - कॉलेज
बाबा ग्राम
मिर्जागंज जिला - गिरिडीह



कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 16/5/08

दिनांक : 22.01.08

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती दिनेश कुमार पाण्डेय

ग्राम :- सिमरा रोड, पो-परवरा

जिला :- गिरिडीह।

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 29.8.07 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के मानव शस्त्र विभाग में उपाध्यक्ष पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

स्व. अ. पाण्डेय
31.05.24

सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 2018/50

दिनांक : 20.01.18

व्यक्ति :-

श्री/श्रीमती सुनील कुमार शर्मा
कक्षा शिक्षक, लंगटा बाबा कॉलेज, गिर्जागंज, गिरिडीह
बिहार

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 01.01.18 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, गिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 10.01.18 की प्रस्ताव सं० 1/18 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्तों पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, गिर्जागंज (गिरिडीह) के शिक्षण विभाग में कक्षा शिक्षक पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की लिखित शर्तों शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

पदसूचक पत्रान्त शासी निकाय की सहमति से कॉलेज के आय भत्तों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उन्नत सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई एक मांगे जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

सुनील कुमार शर्मा

सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज
गिर्जागंज, गिरिडीह

कार्यालय, तपिय, लेंटाबाबा कालेर, आबाग्राम, पो-0 मिरगिरे, गिरिडीह



बन्क :- नि/ 70

दिनांक :- 24/12/89

प्रेषित :- श्री जयप्रकाश मिश्रकार
ग्राम - पो. - मालडा
जिला - गिरिडीह

शांती - निगम तथा विभाग विरोधी - द्वारा
सबसे आधी भी गई अन्तर्वीक्षा तथा विभाग - विरोधी
द्वारा प्राप्त मन्तव्यों के आधार पर शांती - निगम की ब
बैंक सँगा - 16 दिनांक : 29-10-89 की कार्यवाही - 3 के
द्वारा गव की नियुक्ति देवीशारदा विभाग में
लाभगता के लक्ष में पूर्व बन्क पर विषय विभाग
द्वारा देग केन मान पर अध्यायी लक्ष में ही जाती है ।

सौमदान के समस्त आब अपने लक्ष्मी मूल प्रमाण - बन्कों
को प्रारण के समस्त उपस्थापित करेंगे ।



(Handwritten Signature)

। तदानन्द प्रसाद ।

तपिय

लेंटाबाबा कालेर, आबाग्राम
पो-0 मिरगिरे, गिरिडीह ।

कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)



नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ २०/५/०८

दिनांक : २८.०१.०८

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती नगिण्ड पासवान

ग्राम :- खैतवाडीह, पो० - ताही नवडीहा

जिला :- गिरिडीह ।

आपके आवेदन-पत्र दिनांक ०२.१.०७ के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० ०६ दिनांक १२.१०.०७ की प्रस्ताव सं० ०२ के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के नगिण्ड विभाग में ग्यारहव्या पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है ।

कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे । शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है ।

नगिण्ड पासवान

सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज
बाबाग्राम
गिरिडीह

कार्यालय, सचिव मैदानाबाबा कालेर, दादागाम, पोलीस थाना, गिरिडीह

निगमिका - पत्र

संख्या :- निग/ 63

दिनांक : 21.12.89

प्रेषित : श्री दिलीप कुमार सिंह
ग्राम - फरहादिह, पो. - खरगडीह
जिला - गिरिडीह

शास्त्री - निवारण तथा विभाग - विशेषज्ञ - द्वारा
गद की भी गई हस्तक्षेप तथा विभाग विशेषज्ञ द्वारा
प्राप्त मन्तव्य के आधार पर शास्त्री - निवारण की श्रेष्ठ
संख्या - 16 दिनांक 29.10.89 की कार्यवाही - 3 के द्वारा
कालेर के कबली सेवा दिनांक : 3.8.88 के
रखीकार कर्मी हुए बाप की निगमिका श्रीराम
विभाग में सेवा प्रमाणा के रूप में रमेश पर
विशेषविभाग द्वारा रोग वेतनमान पर उपस्थान रूप में की
गती है।



। सदानन्द कुमार ।

सचिव

मैदानाबाबा कालेर, दादागाम
पोलीस थाना, गिरिडीह



कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 22/S/08
दिनांक : 30.01.08

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती अनिल कुमार देव
ग्राम :- सिना देवी, पो-सिनादेवी
जि० :- गिरिडीह।

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 06.9.07 के प्रसंग में भूमिका करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत दैन्य वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के राशि विभाग में व्यारूच्याता पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के कार्य-भारों से उपलब्ध राशि होने पर आपका मासिक वेतन स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उच्च सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत कार्य जान पड़े वह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विलम्ब कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


योगदान के समय राशी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रदान-प्राप्त के साक्षात् उपस्थापित करना अनिवार्य है।

Handwritten signature and date: 21/01/24

Handwritten signature and name: सचिव

कृषि विभाग
तपित, नंगला थाबा कालिज बाबागामि पो 0 मिर्जापुर गिरिडीह

नियुक्ति का



वर्नांक - नि 0/10/99
प्रेषित,

दिनांक - 10.7.1999

श्री विनीत कुमार राय
ग्राम - फुलगी रोड

पो. कविहारी जाम - राजे वान गार (गिरिडीह)

शासी निवाय तथा विषय विशेष द्वारा आवडी सी गई अर्थात् सय

विषय - विशेष द्वारा प्राप्त अनुगत मूलक मालुमों के आधार पर नंगला थाबा कालिज
बाबा गाम की शासी निवाय की डेट सं 05/99 दिनांक 27.5.1999

की कार्यवाही प्रस्ताव सं 01 (क) के आलोक में आवडी नियुक्ति

उपरोक्त विभाग में व्यावस्थापक के पद पर

विषयविधालय द्वारा देय वेतनमान तथा अन्य मालुम पर अवापी सय से की जाती हे ।

यह नियुक्ति पद रिक्ति या पद प्राप्त या पद सुल की अवका में
अवकाधिकारी के अनुमोल के आलोक में प्रवापी होगी ।

- N.A. (1) कौमदान-पत्र की मूलक अर्थात्
सफिक की वस्तुगत कर 300।
- (2) कौमदान के समक सयविधि
अनुमोल-पत्र उपस्थापित कर 200।

[Signature]
10.7.1999
राज्य पञ्चकेय | सचिव
तपित, नंगला थाबा कालिज
नंगला थाबा कालिज बाबागामि पो 0 मिर्जापुर गिरिडीह

स्व. अभिप्रमाणित
Vinod Kumar Rai
05/06/24

नियुक्ति - पत्र

पत्रांक:- नि०/ 67

दिनांक: 21.12.89

प्रेषित: श्री जयदीप कुमार पांडेय
ग्राम - पो - मिर्जापूर
जिला - मिर्जापूर

शासी - विकास तथा विषय विशेषज्ञ - द्वारा
आप की ली गई अन्तर्परीक्षा तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा
पुस्तक परीक्षा के आधार पर शासी - विकास की संक
संख्या - 16 दिनांक 29.10.89 की कार्यवाही - 3 के द्वारा
कालेर में आपकी सेवा दिनांक : 21.12.89 से
स्वीकार करीब हूँ आप की नियुक्ति : राजनीति विज्ञान
विभाग में प्वाश्याता के त्प में पुस्तक पर
विश्व विद्यालय द्वारा देय वेतनमान पर अस्थायी त्प में की
जाती है ।

[Handwritten Signature]

। सदानन्द प्रसाद ।
तहसिल

लंगटावावा कालेर, वावाग्राम
पो-0- मिर्जापूर । मिर्जापूर ।



Self Attested
5/06/2024

कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ ०९/५/०८

दिनांक : ५.०१.०८

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती वृजा पराशर
ग्राम :- जगन्नाचडीह, पो- मिर्जागंज
जिला :- गिरिडीह

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 4.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्त्र के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० ०६ दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के मनी विज्ञान विभाग में ०धारठ्याता प्रथम पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के आय श्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज
मिर्जागंज

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 11/8/08

दिनांक : 10.08.08

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती मि० अहसान आलम
ग्राम :- काजी मगदा, पोस्ट - जमशेदपुर
जिला :- गिरिडीह


आपके आवेदन-पत्र दिनांक 03.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है, के विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 10.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के उर्दू विभाग में अस्थायी पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

पदसृजनोपरान्त शासी निकाय की सहमति से कॉलेज के आय आगतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उग्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

Mt. Akwan Alaw

सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज
बाबाग्राम, गिरिडीह



कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 19/S/08

दिनांक : 28.01.08

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती राजीव कुमार

ग्राम :- चकई, लंगटा, जि० - चकई

जिला :- जमुई, बिहार ।


आपके आवेदन-पत्र दिनांक 03.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के प्राध्यापक विभाग में प्राध्यापक पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है ।

कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे । शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है ।

Self Attested
Rajiv Kumar
राजीव कुमार

प्रधानाचार्य
लंगटा बाबा कॉलेज



कार्यालय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह)

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ ०१/ ५/ ०७

दिनांक : ७.१२.०७

प्रेषित :-

श्री/ श्रीमती शुनील कुमार खर्वाजल

ग्राम - मालडा

पोस्ट - बाबा

जिला - गिरिडीह

आपके आवेदन-पत्र दिनांक ०३.१.०७ के प्रसंग में सूचित करना है कि विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० ०६ दिनांक १२.१०.०७ की प्रस्ताव सं० ०२ के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के भू-जोख विभाग में ०यारण्याना पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।


15.6.24


सचिव
लंगटा बाबा कॉलेज
बाबा

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक नि०/ 08/S/07

दिनांक : 20.12.07

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती श्रीमती प्रसाद बाबा
ग्राम - चकई, लाजार, पो - चकई
जिला - जमुई, बिहार

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 03.9.07 के प्रसंग में सूचित करना है के विषय-विशेषज्ञों द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलोक में शासी निकाय, लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) की बैठक सं० 06 दिनांक 12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार आपकी अस्थायी नियुक्ति कॉलेज व्यवस्थान्तर्गत देय वेतन एवं भत्ते पर लंगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जागंज (गिरिडीह) के प्राचीन इतिहास विभाग में उपस्थापना पद पर आपकी पूर्व सेवा को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से शासी निकाय ने करने की कृपा की है।

पदसृजनोपरान्त शासी निकाय की सहमति से कॉलेज के आय स्रोतों से उपलब्ध राशि होने पर समीचीन आर्थिक स्थिति में ही वेतन-भत्ते देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः रद्द रहेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

योगदान के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

Shambhu pd. Gupta

र. न. शर्मा
सचिव
सचिव

लंगटा बाबा कॉलेज

कार्यालय, सचिव, लमटा खड्डा कालेज, खड्डाग्राम पो-0-मिर्जापुर, गिरिडीह

निरूपित - पत्र

पत्रांक:- सि०/८९

दिनांक:- 21.12.89

प्रेषित : श्री रामकृष्ण मंडल
उपाध्यक्ष पो-0-मिर्जापुर
जिला-गिरिडीह

ज्ञाती - निदेश तथा विभाग विशेष - द्वारा
आपकी ली गई जन्मदीक्षा तथा विभाग - विशेष द्वारा
प्राप्त मन्तव्यो के आधार पर ज्ञाती- निदेश की संख्या-16
दिनांक 29.10.89 की कार्यवली - 3 के द्वारा आपकी निरूपित

इमानदारी विभाग में द्याकरता के रूप में
प्रथम पद पर विश्वविद्यालय द्वारा देय वेतनमान
पर उम्मीदारी रूप में की जाती है।

सोमदान के साथ आप अपने सभी दूत प्रमाण-पत्रों को
प्रचार्य के समक्ष उपस्था पित करेंगे।



[Handwritten signature]

। सदानन्द प्रसाद ।

सचिव,

लमटा खड्डा कालेज, खड्डाग्राम
पो-0-मिर्जापुर, गिरिडीह ।

स्व-अभिप्रेक्षा

[Handwritten signature]

नियुक्त
सचिव, मंगला बाबा कॉलेज बाबागाम-मंडीर, गिरिडीह

नियुक्ति पत्र

पत्रांक - नि०/ 14/99 -
प्रेषित,

दिनांक - 10.7.99

श्री केशवजी शर्मा
शासन सेवा परामर्श
आधार-संयोजन कार (गिरिडीह)

शासी निदेश तथा विषय विच्छेद द्वारा आपकी सी. गै. अर्हता प्राप्त है
विषय - विच्छेद द्वारा प्राप्त अनुज्ञा मुक्त मतव्यो के आधार पर मंगला बाबा कॉलेज
बाबागाम की शासी निदेश की सं० 05/99 दिनांक 27.5.1999
की कार्यवाही प्रस्ताव सं० 01/99 के अंतर्गत में आपकी नियुक्ति
विभाग में के पद पर

विशेषज्ञ द्वारा देय वेतनमान तथा अन्य शर्तों पर अदायी व्य. से की जाती है।

यह नियुक्ति पत्र रिक्ति या पद प्राप्त या पद सुख की अवस्था में
संभाला जायगी के अनुमोदन के अंतर्गत में प्रभावी होगी।

- (i) शैक्षणिक-पत्र की संज्ञा अर्हता
संश्लेषण की स्वीकृति करेगी
- (ii) शैक्षणिक के समस्त मूल लेखों की-पत्र
उपस्थापित करेगी
- (iii) स्नातकोत्तर परीक्षा के आसक्त
के (सुधार आवश्यक है) यदि
उक्त अंतर्गत की शर्त पूरी हो (आए)

राजेश कुमार
10.7.99
सचिव
मंगला बाबा कॉलेज
बाबागाम (गिरिडीह)

सहायक निदेशिका
श्री० विष्णुनारायण



कार्यालय, लुगटा बाबा कॉलेज बाबाग्राम, मिर्जापुर

नियुक्ति-पत्र

पत्रांक क्रि/ 18/5/08
दिनांक : 28.01.08

व्यक्ति

नाम/पिता/माता सतीश कुमार

ग्राम :- गौधी चौक राजधनवार (ग्राम + पोस्ट - हेमशेडीह)

पिन : राजधनवार जिला - गिरिडीह।

आपका आवेदन-पत्र दिनांक 28.8.07

उपरोक्त है कि शिक्षण-विशेषज्ञ द्वारा ली गई अन्तर्वीक्षा के परिणामों के आधारे
निकाय के सदस्यों के मन्तव्य के आलाक में शासी निकाय, बाबाग्राम, मिर्जापुर (गिरिडीह) का बैठक सं० 06
12.10.07 की प्रस्ताव सं० 02 के अनुसार उक्त निकाय
नियुक्ति का लक्ष्य व्यवस्थान्तर्गत देश वेतन एवं भत्तों पर लक्ष्य
बाबाग्राम, मिर्जापुर (गिरिडीह) के वाणिज्य विभाग व्यारख्याता
x पर आपके पूर्व सेवा का स्वीकार किया हुआ है।
मे शासी निकाय के निर्णय को स्वीकार किया है।

मौलिक के आय श्रेणी से उपलब्ध राशि होने पर सम्मानित निकाय
स्थिति में ही वेतन-भत्तों देय हो सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र, आय
आवसीय प्रमाण पत्र तथा उक्त सम्बंधी प्रमाण पत्र में से कोई मतलब
यह नियुक्ति रखत रहें रहेंगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
योगदान के समय सहायक पत्र को मूल प्रमाण पत्र
समस्त उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

Satish Kumar
31/5/2024

सचिव
लुगटा बाबा कॉलेज
बाबाग्राम

05/99 (2020-99)



राज दिनांक 27-5-99 को यकी दिन लीज
नावा को लीज कोवा ग्राम के सासी निकाय को आवरण
को लीज परिसर में श्री शीलमाला प्रसाद नामी को
अवकाशना में उड़ी। उके में नाकी अं किन चरणा पर
सर्व सम्पत्ति से पारित हुआ।

उपस्थिति :-

1. श्री शीलमाला प्रसाद नामी (अवकाश)
2. डा. सु. ली. मेहरा (सदस्य) नामाधी विधी प्रयोग विधी
3. श्री राजव. पारसि. अगिव
4. श्री वि. लं. श. म. नामाधी

(क) अं गलत जाका को लीज में
आरुणाताओं की विधुक्ति
पर विचार

विषय विशेषज्ञों के पास अनुसंधान
(राफ) तथा अनाकी सा के आवारा
पर यमनित उमोडवारी के साक्ष्य
में विधारी परान्त सासी निकाय की
इस के उके ने सर्व सम्पत्ति से निरति
रिणा कि अि समावकाश के वरि को लीज
खुलने के दिन से
अं किन विषयों में उके सामने अं किन
अना कि किन तथा यमनित आवाराओं
(उमोडवारी) को आरुणाताओं की पर
पर विचार लीज आता है



साथिन तनुसार निगम को परिधि में
उद्देश्य विधुकरण निगम कर्तव्य।

विषय :-

1. स्थापना सम - श्री उदय शंकर उज्व, सम. सम.
2. शैतिक सम - श्री विवेक कुमार राम, सम.
3. गणित - श्री विनोद कुमार राम - सम. सम.
4. वनस्पतिशास्त्र - श्री कमलेश कुमार पाण्डे - सम. सम. सम.
5. हिन्दी - (1) श्री अमलीशानन्द गोरखाम्नी, (2) श्री नन्द गोरखाम्नी - सम. सम.
6. संस्कृत - श्री किष्किण शर्मा - सम.
7. उर्दू - श्री शकील अख्तार - सम.

श्री अमलीशानन्द गोरखाम्नी तथा श्री किष्किण शर्मा को स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रश्नों को में सुझाव करना आवश्यक होगा तद्विषय में प्रश्नों की शर्त पूर्ण की जाए।





प्रयोगशाला सहायकों
की विधुक्ति पर विचार -

सर्वसम्पत्ति से विरहित विद्यार्थी
जो कि जो कि अंकित संविधानों (उच्च
दवारी की) को गढ़ जाँग एवं जादवों-
शा के आधार पर गीगडावनी विधि
से उचित नामों के साथ उच्च विधुक्ति
(संकाशित) में प्रयोगशाला सहायकों के विधुक्ति
विधुक्ति विचार जाता है सन्निव उच्च विधुक्ति
सार विधुक्ति पर विचार करेंगे।

1. श्री राजकुमार वर्मा - रसायन शास्त्र प्रयोगशाला सहायक
2. श्री प्रदीप कुमार वर्मा - श्री विद्युत् इंजिनियरिंग विभाग
3. श्रीमती रजनी पराशर - मनी (विद्यालय) प्रयोगशाला सहायक
4. श्री विवेक कुमार पांडेय - भूगोल प्रयोगशाला सहायक
5. ॥

लंगूर बाबा कॉलेज वावाग्राम मिर्जापूर
 को शाखा निष्काय को आज दिनांक 12.10.2007
 को बैंक में उपस्थिति :-

1. माननीय विचारक
 श्री केदार इजरा — उपाध्यक्ष — केदार इजरा
2. डा० उमेशचंद्र मेरवा — प्राचार्य/निर्देशक — प्रेमराजे
3. कॉलेज परिषद के सदस्य — श्री. ...
4. श्री. राधकृष्ण पाण्डेय — अध्यक्ष — ...
5. 11 अग्रज प्रस्तावक — प्रस्ताव — अग्रज प्रस्तावक, ...

विविध विषयों के लिये निम्नलिखित विषयों के लिये
 उद्देश्य विषय विचारणा जिनकी उपस्थिति
 उन्नीसवें दिन के द्वारा उपस्थिति पत्र, अन्तर्गत
 शाखा के अन्तर्गत मूलक प्रतिवेदन, पर आज
 दिनांक 12.10.2007 को तिथि को अंकित है।

आज दिनांक 12.10.2007 को 11 अग्रज
 दिने लंगूर बाबा कॉलेज वावाग्राम मिर्जापूर
 (शिर्डी) को शाखा निष्काय को बैंक
 सामान्य प्रकृत माननीय विचारक श्री केदार
 इजरा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस
 बैठक में नीचे अंकित विचारणाएँ विषयों पर
 सम्पन्न निर्णय के उपरान्त नीचे अंकित
 निर्णयानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
 किये गये।

विचारणाएँ विषय :-
 1) गांव बैंक सं० ०५ दिनांक अक्ट. 9. 2007 की
 कार्यवाहियों एवं पारित प्रस्तावों की सम्पुष्टि —
 पारित प्रस्ताव :-

गांव बैंक सं० ०५/ अक्ट. 9. 2007 की कार्यवाहियों
 एवं पारित प्रस्ताव आज को बैंक में
 विन्दुवार पढ़े गये। इनकी सम्पुष्टि सर्वोप
 विचारणाएँ सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

इसने बताया था कि विद्युत् रज्जु कुट्टमदेश पर नियुक्त
 व्याख्याताओं का सामान रख विद्युत् विभाग में किया
 जाना अनिवार्य है।

विषय विशेषियों के अनुशासनात्मक
 मूलक प्रतिवेदन पर समीचीन विचार विमर्श
 तथा शाखा विभाग के सदस्यों द्वारा दिए गए
 समस्त महत्व के आलोचक मन्तव्यों को ध्यान
 रखते हुए शाखा के अंतर्गत मन्तव्यों के साथ
 कालक्रम में उपयोग में आने वाले
 वेतनमान तथा अन्य दायित्वों पर अस्थायी
 कर्मियों की योगदान को ध्यान रखते हुए उनको पूर्व से
 स्वीकृत करके विद्युत् विभाग विभागों के विभागीय
 व्याख्याताओं के पदों पर अंतर्गत उम्मीदवारों
 को नियुक्ति की गई।

विभाग नियुक्त उम्मीदवार विषय आर.ए.

- 1) मूगोल (1) श्री सुनील कुमार वर्मा - मूगोल - 0.13.0.
 (राम.रा.)
- (2) " शाहनवाज अख्तर - मूगोल - 0.13.0.
 (राम.रा.)
- (3) " शिवकिशोर साव - मूगोल - 0.13.0.
 (राम.रा.)
- 2) अर्धव्याख्या (1) श्री अजय कुमार (राम.रा.) - अर्धव्याख्या - विभाग.
 (2) " सुनील कुमार शर्मा - अर्धव्याख्या - विभाग.
 (राम.रा.)
- 3) हालिया (1) श्री सुरेश कुमार चौधरी - हालिया - विभाग.
 (2) " सुकेत कुमार पांडेय - हालिया - विभाग.
 (अस्थायी) विभाग.
- (4) प्राचीन
 श्री श्री सुप्रसाद गुप्ता - प्राचीन - विभाग.
 (राम.रा.)
- 5) मनी विद्यालय (अस्थायी) रूपी परावार - मनी विद्यालय - विभाग.
 (राम.रा.)
 (2) श्री अमन लाली साहू - मनी विद्यालय - विभाग.

